हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई–ए.(बी)–2–8/2017 तारीख शिमला–2, 26-08-2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.एफ.ई–ए.(बी)–2–23/2010 तारीख 20–09–2014 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक, वर्ग–III(अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
उपाबन्ध–"क" का संशोधन।	2.	हिमाचल प्रदेश वन विभाग वन रक्षक, वर्ग–III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के स्तम्भ संख्या 15–क (VII)(ग) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– "(VII)(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा।

		संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान,गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।
उपाबन्ध–''ख'' का संशोधन।	3.	उक्त नियमों के उपाबन्ध ''ख'' की क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– ''(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर

		पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाष (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।
उपाबन्ध–''ग'' का संशोधन।	4.	उक्त नियमों के उपाबन्ध ''ग'' की क्रम संख्या 2(ङ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:– ''**(ङ) अभ्यर्थियों का मूल्यांकन.–** मुल्यांकन के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थी, लिखित परीक्षा के गुणागुण के क्रम में, सम्बद्ध वृत में प्रवर्गवार उपलब्ध रिक्तयों की संख्या के तीन गुणा होंगे। जिसका मुल्यांकन इन नियमों से संलग्न 'परिशिष्ट–।' में विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार किया जाएगा।''

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला–2, 26 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)/वित्त/प्रधान सचिव(विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग,निगम विहार, शिमला–2 .
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल प्रमुख)/(वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश शिमला–1.
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सिमित, शिमला–171 009.
6. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल/मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल/निदेशक, हिमाचल प्रदेश वन विभाग/राज्य वन निगम।
7. महालेखाकार/उप महालेखाकार हिमाचल प्रदेश, शिमला–171003.
8. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171 005.
9. उप–नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्यालय प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1.
10. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां (50 अतिरिक्त प्रतियां)।

26/8/17

(डी० सी० राणा)
विशेष सचिव(वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाषः 0177 2880420

परिशिष्ट–I

1.	**लिखित परीक्षा** {लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:– (i) भर्ती और प्रान्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 X 0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे जाएंगे।} (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। = 01 अंक (iii) भूमिहीन कटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। = 01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। = 01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। = 01 अंक* (vi) एन.एस.एस.(कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। = 01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/– से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब। = 02 अंक (viii) विधवा/तलाक शुदा/अंकिंचन/एकल महिला। = 01 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ = 01 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से	15 अंक

	सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। = 01 अंक (xi) सरकारी/ अर्धसरकारी सगंठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक	
	{*क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है, इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दु के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा।}	

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-A(B)2-8/2017 Dated 26-8-17 as required under article 348(3) of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-A(B)2-8/2017 Dated : Shimla-171002, the 26-08-2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted) Executive Section, Recruitment and Promotion Rules, 2014, notified vide this department Notification No.FFE-A(B)2-23/2010 dated 20.09.2014, namely:-

Short title and commencement.	1.	(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2017.
		(2)These rules shall come into force from

		the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.	In the Himachal Pradesh, Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion Rules 2014, (herein after called the "said rules"). For the existing provisions against **Column No.15-A(VII)(C),** the following shall be substituted, namely:- "VII(C) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar

		year and will not be carried forward for the next calendar year".
Amendment of Annexure-"B"	3.	In the said rules, for the existing provisions against Serial No. 4 of Annexure-"B", the following shall be substituted, namely:- "4.The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year".
Amendment of Annexure-"C"	4.	In the said rules, for the existing

Ju

		provisions against Sr. No. 2(e) of Annexure-"C", the following shall be substituted, namely:- "(e) Evaluation of the candidates- The Candidates to be called for evaluation shall be 03 (three) times of the number of category wise available vacancies in the concerned circle, in order of merit of written examination. The evaluation thereof shall be made in accordance with the scheme specified in the 'Appendix-I', appended to these rules".

By Order

Tarun Kapoor
Additional Chief Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla

Endst. No. FFE-A(B)2-8/2017 Dated : Shimla-171002, the 26-8-2017
Copy forwarded for information and further necessary action :-

1. Addl. Chief Secretary (Personnel)/Finance/ Principal Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Additional L.R.-cum-Additional Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
3. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Nigam Vihar, Shimla-2.
4. The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)/ PCCF (WL), Himachal Pradesh Shimla-1.
5. The Managing Director HP State Forest Development Corporation, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-9.

6. All APCCFs/CCFs/CFs/Directors in HP Forest Department/ HP State Forest Development Corporation.
7. The Accountant General/Dy. Account General, Himachal Pradesh, Shimla-171003.
8. The Controller, HP Govt. Printing Press, Shimla-5.
9. The Deputy Controller (F&A) O/o Pr. CCF, HP Shimla-1.
10. Guard File/spare copies (50 copies).

Sd/- 26/8/17

(D.C.Rana)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph.No.0177-2628480
e-mail:dc.rana04@nic.in

1	WRITTEN TEST (***Percentage of marks obtained*** *in written examination to be calculated out of* ***85 marks. For example,*** *a candidate getting 50% marks in written* ***examination will be given 42.5*** *marks*).
2	Evaluation of candidate to be made in the following manner:- i) Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. = 2.5 Marks {*Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50 x 0.025 = 1.25)*} ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. = 01 Mark iii) Land less family/ family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. = 01 Mark iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. = 01 Mark v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ [illegible] = 01 Mark* vi) NSS (*at least one year*)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/ [illegible] winner in National Level sports competition. = 01 Mark vii) BPL family having annual income (*from all sources*) below Rs. 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time. = 02 Marks

viii) Widow/divorced/destitute/single woman. = 01 Mark

ix) Single daughter/Orphan. =01 Mark

x) Training of at least 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution.
= 01 Mark

xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./ Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (*0.5 marks only for each completed year*) .
= 2.5 Marks

{* Since category of Forest Guard is exempted from 3% reservation meant for differently abled persons, hence no mark will be given to any candidate under this point}

******